भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2319
07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के चयन हेतु मानदंड

2319 डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री मिथलेश कुमारः
श्री बृज लालः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री बाबू राम निषादः
श्री जग्गेशः
श्री मदन राठौड़ः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्रीमती साधना सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के चयन हेतु कौन-कौन से मानदंड अपनाए गए हैं;
(ख) क्या ऐसे क्लस्टरों के लिए ज़िला स्तर पर एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत चिह्नित उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय इस बात की निगरानी करता है कि अनुमोदित क्लस्टर अपनी स्थापना के बाद अपेक्षित निवेश आकर्षित कर रहे हैं या नहीं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): मंत्रालय द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी) योजना के अंतर्गत प्रस्ताव समय-समय पर जारी 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं और सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। परियोजनाओं का चयन योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि की उपलब्धता, निवल मूल्य, सावधि ऋण, इक्विटी योगदान और अन्य तकनीकी और वित्तीय मापदंडों से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं। दिनांक 25.04.2025 के विस्तृत योजना दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ग): एपीसी योजना मांग-आधारित है और यह किसी विशेष क्षेत्र/फसल/उत्पाद के लिए नहीं है। कौन से उत्पादों को संसाधित करना है, यह तय करना पीआईए का काम है, और यह चुनाव उनके प्रस्तावित एपीसी से संबंधित विशिष्ट फसलों और जिला-विशिष्ट कारकों द्वारा निर्देशित होता है।

(घ)से (ङ): स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी आवधिक पर प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने, परियोजना प्रबंधन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण, उपलब्धि-आधारित अनुदान जारी करने और योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अन्य निगरानी तंत्रों के माध्यम से की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत, क्लस्टर्स में निवेश को और बढ़ाने के लिए मंत्रालय सीईएफपीपीसी योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन, स्वीकृत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के भीतर प्रस्तावित सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
